



2026:AHC:48695-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी संख्या 8991/2026

एम, अपने अभिभावक (पिता) के माध्यम से, निवासी ग्राम कुलेसरा ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनीष सिंह, पंकज कुमार मिश्रा

प्रतिवादियों के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

एएफआर

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी की तरफ से स्थायी अधिवक्ता सुश्री शुभ्रा सिंह की सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह रिट याचिका 'एम' की ओर से दायर की गई है, जो बलात्कार की पीड़िता है और याचिका उसके पिता (संरक्षक) के माध्यम से दाखिल की गई है। मामले की प्रकृति को देखते हुए, यह अदालत याचिकाकर्ता के बारे में और कोई जानकारी न देना ज़रूरी समझती है।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, वह बलात्कार की शिकार थी, जिसके कारण उसके पिता द्वारा 25.01.2026 को लगभग 21:02 बजे थाना इकोटेक-III, गौतम बुद्ध नगर में भा.न्या.सं. की धारा 69 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 45/2026 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झूठा वादा करके यह रिश्ता जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप, जब पीड़िता लगभग 16.5 साल की थी,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तो वह गर्भवती हो गई। ऐसा लगता है कि अपराध की पहली घटना सितंबर, 2025 में हुई थी और यह तब तक छिपी रही जब तक कि पीड़िता ने जनवरी, 2026 में इस घटना के बारे में नहीं बताया; उस समय तक वह अपनी गर्भावस्था के पांचवें महीने में थी। इस याचिका में 'परमादेश' (आदेश) जैसी रिट जारी करने की मांग की गई है, ताकि संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया जा सके। पिछली सुनवाई की तारीख पर, इस न्यायालय ने 27.02.2026 के अपने आदेश में 'गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' के प्रधानाचार्य को एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था। इस बोर्ड में एक मनोचिकित्सक (साइकियाट्रिस्ट) और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शामिल होंगे, जो याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता के अधिवक्ता से, यदि आवश्यक हो तो अलग-अलग, परामर्श करें और उसके बाद एक संयुक्त बैठक करें। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को भी इस टीम का हिस्सा बनने का निर्देश दिया गया, ताकि अगर याचिकाकर्ता गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक जारी रखने और उसके बाद बच्चे को गोद देने के लिए सहमत हो, तो 'ए' ('एक्स' की माँ) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2024 5 एससीआर 470) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि तय किए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

4. आज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 06.03.2026 की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय के सामने रखी गई। इसे बेंच सेक्रेटरी द्वारा खोला गया और न्यायालय के समक्ष रखी गयी। रिपोर्ट से पता चला कि डॉक्टरों की पाँच सदस्यों वाली टीम— जिसमें साइकियाट्री (मनोचिकित्सा) विभाग के प्रमुख और एसोसिएट प्रोफेसर और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (प्रसूति और स्त्री रोग) विभाग के प्रमुख और प्रोफेसर शामिल थे— ने पीड़िता से बात की। पीड़िता ने प्रसव तक गर्भावस्था जारी रखने और बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सहमति दी, लेकिन इस शर्त पर कि बच्चे को तुरंत गोद दे दिया जाए, क्योंकि वह इसका भावनात्मक बोझ नहीं उठाना चाहती। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पीड़िता की मनोवैज्ञानिक परेशानी के बारे में भी जाँच की गई, और पाया गया कि उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. बोर्ड का अंतिम निष्कर्ष यह था कि पीड़िता प्राकृतिक प्रसव शुरू होने तक गर्भावस्था जारी रखने और उसके बाद बच्चे को गोद देने के लिए सहमत है, और जिस दिन उसकी जांच की गई, उस दिन वह किसी मानसिक तनाव में नहीं थी।

6. इन परिस्थितियों में और बोर्ड की उपरोक्त रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय राज्य से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करती है कि वह पीड़िता की इच्छा के अनुसार, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, राज्य लागू कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता को एक दिन के लिए भी नवजात शिशु की देखभाल करने के मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े।

7. साथ ही, राज्य को यह निर्देश देना भी ज़रूरी है कि वह नवजात शिशु का ब्लड सैंपल ले और उसे मामले के जांच अधिकारी को सौंप दे (जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया है, जांच अभी भी चल रही है), ताकि नवजात शिशु के डीएनए की आरोपी और पीड़िता के डीएनए से प्रोफाइलिंग की जा सके। नियमानुसार रक्त का नमूना जांच अधिकारी की मौजूदगी में लिया जाएगा और जांच अधिकारी को सौंप दिया जाएगा; इस पूरी प्रक्रिया के बारे में उन्हें पहले से सूचित किया जाएगा। इसके बाद, जांच अधिकारी उक्त नमूने को आरोपी और पीड़िता के रक्त के नमूनों के साथ डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए एफ.एस.एल. विभाग को भेजेगा, जिसकी रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करते समय उसके साथ संलग्न की जाएगी।

8. गोद दिए गए बच्चे की माँ, यानी शिकायतकर्ता महिला की पहचान छिपाई जाएगी ताकि उसकी निजता बनी रहे और उसकी पहचान उजागर न हो।

9. यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बोर्ड की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में प्राप्त हुई थी, जिसे पीठ सचिव द्वारा खोला गया और न्यायालय को सौंप दिया गया और अवलोकन बाद, इसे फिर से सील करके रिकॉर्ड में रख दिया गया है।

10. उपर्युक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन) (माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मार्च 10,2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”